रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

CENTRAL LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 1980/चैत्र 1, 1902

No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 1980/CHAITRA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1980

का. आ. 201(अ)/18चख/आई डी आर ए/80.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 190(असा.)18/चख/आई डी आर ए/78, तारीख 21 मार्च, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनका नैशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 20 मार्च, 1980 तक और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 20 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा. सं. 2(44)/77-सी यू एस]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st March, 1980.

S.O. 201(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 190(E)/18FB/IDRA/78 dated the 21st March, 1978, (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section(1)

of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messers. National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was further extended upto the 20th March, 1980;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of one year upto and inclusive of the 20th March, 1981.

[F. No. 2(44)/77-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980